ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 416-417

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं समाजिक परिवर्तन

रीना कुमारी

एम0 ए0 पी–एच0डी0, समाजशास्त्र, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार) भारत।

Received- 04.08.2020, Revised- 08.08.2020, Accepted - 11.08.2020 E-mail: dr.ramnyadav@gmail-com

सारांश : विश्व के मानचित्र पर भारत एक विशाल देश है। इसका भौगालिक क्षेत्रफल 32 लाख 87 जहार 263 कि० मी० है, जो सम्पूर्ण संसार का लगभग 2.42 प्रतिशत है, किन्तु इसे विश्व की कुल जनसंख्या के 16.7 प्रतिशत भाग का ही लालन–पालन तथा पोषण करना पड़ता है।[1] संसार का प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतवासी है। चीन के बाद यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है, लेकिन क्षेत्रफल में भारत का 7 वां स्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इस देश की जनसंख्या मात्र 34 करोड़ थी, जो बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार एक अरब 21 करोड़ 01 लाख 93 हजार हो गयी है। जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से भारत अपने में हर वर्ष एक आस्ट्रेलिया महादेश जोड़कर चला गा रहा है। भारत में 5 लाख 76 हजार गाँव, 2 लाख 73 हजार 319 ग्राम पंचायत, 5 हजार 11 प्रखण्ड, 435 जिला, 4 हजार पंचायत समितियां तथा 267 जिला परिषद कार्यरत हैं।[2]

कुंजीभूत शब्द– मानचित्र, लालन–पालन, पोषण, भारतवासी, अनुशीलन, चर्मोत्कर्ष, समृद्धि, ग्रामवासी, कृषि राजस्व।

हमारे देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है, जिसका मुख्य पेशा कृषि है। इसलिए प्राचीन काल से ही भारत ग्राम एवं कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। यही कारण है कि गाँवों मे रहनेवाले लोगों की सुख–सुविधा को तरजीह दिये जाने की सम्यक जानकारी प्राचीन गंथों के अनुशीलन से होती है। हर युग में गाँवों के विकास की योजनाऐं सुनिश्चित की गयी हैं तथा इस ओर ठोस कदम उठाये गये हैं। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़ियों कहा जाता था। उस समय यहां का राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अपने चर्मोत्कर्ष पर था। हमारी समृद्धि एवं संसाधनों को देखकर ही विदेशी यहां व्यापार के लिए आये और धीरे–धीरे शासक नब बैठे।

धीरे–धीरे भारत की आजादी समाप्त हो गई, जिससे ग्रामीणों की स्तिथि में काफी परिवर्तन होने लगा। ग्राम एवं ग्रामवासी उपेक्षा के शिकार होते गये। गाँववासियों को निम्न स्तर में आंका जाने लगा। अँग्रेजों के शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया लेकिन किसानों से कृषि राजस्व की वूसली के जो तरीके और फसलों की जो पद्धति लागू की गई उससे अनाज की उपज कम हुयी तथा गाँवों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इतना ही नहीं ब्रिटिश शासकों ने अपने उद्योगों का विस्तार करने के लिए हमारे उद्योग–धन्धों को नष्ट–कर डाला तथा कुटीर उद्योग के कारीगरों को निकम्मा कर दिया। फलस्वरूप गाँवों का स्वरूप बिगड़ने लगां ऐसी स्थिति बन गई कि गांववासी शहरी वातावरण से एकदम कट गये और शहरवासियों ने ग्रामवासियों को हेय दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। ग्रामीण समाज का एक बड़ा भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं यथा भोजना वस्त्र, आवास को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा भारत का आधार स्तम्भ गाँव समस्याओं की बाढ़ में तिनका बन गयां इस प्रलंयकारी बाढ़ से बचाने के लिए देश के कोने–कोने यानी गाँव–गाँव से आवाज आयी और अनेक समाज सुधारकों ने इसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी एक थे। इनके साथ अनेकानेक तत्कालीन समाज सुधारको ने गाँवों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया परन्तु परतंत्रता काल में यह केवल विचार मात्र ही रहा। विचारों का प्रयोग सफल नहीं हो सके।

आजादी मिलने के बाद हमारी सरकार ने विकास के लिए नियोजित मार्ग अपनाया, जिसमें गाँवों के विकास के लिए कृषि विकास के साथ–साथ गाँवों में अतिरिक्त रोजगार का अवसर बढ़ाकर ग्रामीणों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम बनाये गये हैं। फिर भी, आजादी के करीब 64 वर्षों के बाद भारत एक विकासशील राष्ट्र ही है। यहाँ के लोग निर्धन हैं, अधिकांश लोगों को दोनों समय का भरपेट पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर भारतवासी निर्धनता में जन्म लेते हैं, निर्धनता में पलते है और निर्धनता में ही परलोग सिधारते हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार 1984–85 में कुल जनसंख्या का 37 प्रतिशत ही गरीबी रेखा के नीचे था परन्तु विश्व बैंक के अनुसार 1988 में भारत की लगभग आधी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी, जिसमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में थी।[3] यहाँ उपजाऊ जमीन, घने जंगल, आवश्यक खनिज, श्रम, बिजली, सिंचाई आदि सुविधाऐं उपलब्ध है। फिर भी हम निर्धन है। भारतवासियों की गरीबी की स्थिति इससे स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार विश्व के सबसे धनी देश

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

के प्रति व्यक्ति आय भारत से 80 गुणा अधिक है। विश्व के 169 देशों में (जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं) प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत का स्थान 158 वां हैं। अर्थात् केवल 11 देश ऐसे है जिसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है। वही गन्ना, मूगंफली और चाय के उत्पादन में प्रथम, चावल और पटसन के उत्पादन में दूसरा, तम्बाकू और रबड़ के उत्पादन में तीसरा, गेंहूऔर कपास के उत्पादन में चौथा, इस्पात उत्पादन में 15 वां एवं सीमेंट उत्पादन में 10 वां स्थान भारत को विश्व में प्राप्त है। इसी प्रकार चीनी एवं रासायनित खाद के उत्पादन में 5 वां, कोयला और कच्चा लोहा के उत्पादन में विश्व में इस देश का स्थान क्रमशः 6 वां और 7 वां है। विद्युत उत्पादन में इसका स्थान 12 वां है। परन्तु इसकी खपत प्रति व्यक्ति के हिसाब से भारत में बहुत कम है।[4] प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और उत्पादन की अधिकता रहने के बावजूद भी भारत की एक तिहाई आबादी किसी भी मापदण्ड के अनुसार निर्धन/गरीब की श्रेणी में ही आ जाते है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ–साथ गाँवों में बढ़ती आबादी इसका मुख्य कारण है।

स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े अन्य समाज सुधारकों तथा प्रख्यात नेताओं ने भी भारत में गाँवों की महत्त पर कुी बल दिया है तथा गाँवों की अज्ञानता, अंधविश्वास जैसे दुर्गुणों को दूर करने एवं आर्थिक उन्नयन हेतु अपने–अपने विचार व्यक्त किये हैं, जिसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर, पं0 जवाहर लाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री जयप्रकाश नारायण एवं डा० राम मनोहर लोहिया का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर रानीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों एवं समाज सुधारकों ने स्वीकार कर लिया है कि गाँव की समस्या ही राष्ट्रीय समस्या है। ग्रामीण समस्याओं को समाप्त करने के लिए ग्रामीण विकास का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इन प्रयासों में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना भी एक है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा निर्धारित समय में गरीबी उन्मूलन की लक्ष्य प्राप्ति के लिये पहली अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में पहले से स्वरोजगार तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों की चल रही कतिपय योजनाओं को समन्वित किया गया है। समन्वित किये जाने योजनाओं में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कम ग्रामीण दस्तकरों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना तथा दस लाख कुंआ योजना है। अब ये कार्यक्रम नहीं चल रहे है।[6] इन कार्यक्रमों को मिलाकर कार्यान्वित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वरोजगार का अकेला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लागू करते समय यह ध्यान रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से चल रही विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिन व्यावहारिक कठिनाईयों का अनुभव किया जाता रहा है, उन कठिनाइयों का निराकरण करते हुये समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये, जिससे इस योजना की सफलता में किसी प्रकार की बाधा न हो। इस योजना के क्रियान्वयन का दायित्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को दिया गया है। अभिकरण को योजना बनाने, उनके क्रियान्वयन और अनुश्रवण की प्रक्रिया में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं, त्रिस्तरीय पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों तथा जिला के तकनीकी संस्थाओं के सहयोग से अपने दायित्व का निर्वहन करना है। योजना में दी जानेवाली धन राशि केन्द्र और राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में प्रदान करती है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना निर्धनों को स्वरोजगार का अवसर मिलने से उनके सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में पिरवर्तन हुआ है। आय बढ़ने से उनके जीवन स्तर में सुधार होने के फलस्वरूप वे अपने बच्चों की शीक्षा पर जोर दे रहे है। इस योजना के फलस्वरूप उनमें सामाजिक जागरूकता उत्पन्न हुई है जिसके फलस्वरूप वे अपनी सामाजिक समस्याओं का समादान कर रहे है इस योजना के कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हुआ हैं जिसके कारण वे बचत कर रहे हैं इस योजना में उनमें राजनीतिक जागरूकता भी उत्पन्न हुआ योजना ने उनमें मिल जुलकर काम करने की प्रेणा दी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत 2011, वार्षिक संदर्भ, ग्रथ, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली, 2011, पृ० – 06
2. सिंह ए० एन० : बेरोजगारी की समस्या और समाधान, आर्यावर्त मार्च, 10, 1986, पटना, पृ० 04
3. दयाकृष्ण : गरीबो के देश में अमीरों के लिए उत्पादन, नवभारत टइम्स, जुलाई 4, 1989, पटना, पृ० 4
4. प्रधान हशिंकर प्रसाद : आर्थिक विकास के कुछ मूलभूत सिद्धान्त, नई पिढ़ी, अगस्त। सितम्बर, 1988, पटना, पृ० 12–13
5. पंत सुमित्रानंदन : रशिम बंध, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1977, पृ० 143

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*